



2026: AHC : 51501

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7002 वर्ष 2026

सोमपाल एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राकेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता द्वारा 40 वर्ष पूर्व उनके पिता द्वारा उनके पक्ष में दिए गए पट्टे के अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम नामांतरण (दाखिल-खारिज) कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार, तहसील-शाहबाद, जिला रामपुर के समक्ष दिनांक 12.08.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
2. नामांतरण हेतु उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत एक पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
3. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
4. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

13 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।